

सरयू राय

मंत्री

रांसदीय कार्य--सह
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड सरकार



झारखण्ड सरकार

कार्यालय :-

झारखण्ड मंत्रालय

प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची

आवास : एफन्टाईप, पीन्डब्लूडी (IB)

डोरण्डा, राँची

मो० : 9431114466

पत्रांक:आ.स.का./136/17

दिनांक 19/06/2017

माननीय मुख्यमंत्री,
झारखण्ड सरकार.

विषय : जमशेदपुर एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में हाल में हुये उपद्रव की जांच के लिये गठित समिति का प्रतिवेदन और इस पर की गई कारवाई के संबंध में.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जांच समिति का प्रतिवेदन मुझे आधिकारिक तौर पर तो नहीं मिला परंतु गत दो दिनों की जमशेदपुर यात्रा में मुझे यह प्रतिवेदन देखने का अवसर मिला. प्रतीत होता है कि पर्याप्त समय नहीं मिलने के कारण जांच समिति कतिपय प्रासंगिक बिन्दुओं पर गहराई में नहीं जा सकी है. जांच के दौरान ही कोल्हान डीआईजी का ट्रांसफर हो जाने से भी लगता है कि जांच समिति ने जल्दबाजी में सरकार को प्रतिवेदन सौंप दिया है. सरकार के स्तर पर इससे भी जल्दबाजी में इसपर निर्णय ले लिया गया है. निर्णय लेते ही कोल्हान के कमिश्नर का भी ट्रांसफर हो गया. समझ पाना मुश्किल है कि सरकार जांच प्रतिवेदन से संतुष्ट है या असंतुष्ट है तथा जांच समिति के प्रतिवेदन पर कारवाई का निर्णय लेते समय सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों ने इसके फलाफल के बारे में गहराई से विचार किया है या नहीं. मेरा सुझाव है कि जांच समिति के प्रतिवेदन में छूट गये घटनाक्रमों की गहन जांच करायी जाय, जांच प्रतिवेदन के आधार पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों की बारीक समीक्षा की जाय तथा प्रतिवेदन की अनुशंसाओं और इस पर आधारित कारवाइयों की विसंगतियाँ दूर की जाय.

इस संदर्भ में मानगो क्षेत्र में हुये उपद्रव के पीछे की ताकतों को बेनकाब करना जरूरी है. लिफाफे पर लिखी इबारतों को पढने के साथ ही लिफाफा के भीतर के मजमून की तह तक जाने की कोशिश भी करनी होगी. जांच प्रतिवेदन में इसपर सम्यक् विचार नहीं हुआ है. कई घटनाक्रमों को तो बिलकुल नजरअंदाज कर दिया गया है. प्रशासन और पुलिस द्वारा दिये विवरणों को ही प्रतिवेदन का विषयवस्तु बना दिया गया है. समाज के विभिन्न समूहों की बातें सुनने की चेष्टा भी समिति ने नहीं किया है. ऐसा शायद सरकार को जल्दबाजी में जांच प्रतिवेदन सौंपने की विवशता के कारण किया गया है.

जांच प्रतिवेदन में मुस्लिम एकता मंच द्वारा उपद्रव के दिन मानगो के ईदगाह मैदान में की गयी जुटान का जिक्र नहीं होना, मंच द्वारा दो दिन पहले से सोशल मीडिया में मानगो से मुख्यमंत्री आवास तक मानव ऋखला बनाने के सोशल मीडिया पर किये जा रहे सघन प्रचार का जिक्र नहीं होना, ईदगाह मैदान में शोक सभा करने और प्रशासन को मेमोरंडम सौंपने की बात पर मौन रहना, मुंशी मोहल्ला की मस्जिद के उपर से दर्जनों लोगों द्वारा देर तक

(2)

पत्थरबाजी करते रहने और कई राउंड गोली चलाने की घटना को प्रतिवेदन में नजरअंदाज कर दिया जाना, गांधी मैदान थाना पर उपद्रवियों का हमला व तोड़फोड़ करने का जिक्र इसमें नहीं होना, गांधी मैदान के सामने सड़क पर उपद्रवी तत्वों की पुलिस के साथ धक्का-मुक्की करने, पुलिस बल पर मोटरसाइकिल चढ़ाने की जुर्रत करने, एक डीएसपी पर प्रहार करने, एक वरीय पुलिस पदाधिकारी का कॉलर पकड़ने की चेष्टा करने की घटनाओं पर तो प्रतिवेदन में गम्भीर चर्चा तो दूर इनका उल्लेख भी नहीं है. इनके साथ ही कतिपय अन्य घटनाक्रम भी चर्चा में हैं जिनकी गहन छानबीन जमशेदपुर में आये दिन शांति भंग की कोशिशें करने वालों का परदाफाश करने के लिये जरूरी है.

२०१५ की जुलाई में मानगो में घटी साम्प्रदायिक तनाव की घटना की जांच भी कोल्हान के कमिश्नर और डीआईजी ने संयुक्त रूप से किया था. इस संयुक्त जांच प्रतिवेदन पर अबतक कोई कारवाई नहीं हुई. यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार ने यह प्रतिवेदन स्वीकार किया भी है या नहीं. इसके बीद २०१६ के मई महीना में झामुमो के बंद की पूर्व रात्रि में मानगो के गांधी मैदान के समीप बस जलाने की घटना का अनुसंधान भी पुलिस द्वारा आजतक नहीं हुआ है. इसका संज्ञान लिया जाना भी जरूरी है. इस घटना के दोषी निर्बाध घूम रहे हैं और निर्दोष लोगों पर जमशेदपुर पुलिस ने अपराधी का तगमा जड़ दिया है. इन दोनो घटनाक्रमों में पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है.

जमशेदपुर, खासकर मानगो-धतकीडीह, के इलाका के लोगों के बीच तनाव शैथिल्य, परस्पर विश्वास, सामाजिक समरसता एवं सांप्रदायिक सद्भाव की स्थिति पैदा करने के लिये आवश्यक है कि उपर्युक्त विषयक जांच समिति के प्रतिवेदन में छुटे हुये बिन्दुओं को जांच के दायरे में लाया जाय और इसके आलोक मे प्रशासन और पुलिस की भूमिका की समीक्षा की जाय. अनुरोध है कि जांच समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन को स्वीकार करने के निर्णय पर सरकार पुनर्विचार करे और मामले की गहन जांच नये सिरे से कराये.

सादर,

भवदीय
२०१५
सरयू राय
१५/७

